

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ् वनमण्डल, रायगढ् (छ.ग.)

2 □ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 998

/2021/रायगढ़, दिनांक -28/07/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:-

Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS kondatarai to M/s NTPC Ltd. area-9.589 ha.- regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/TRANS/39462/2019

संदर्भ:-

- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं./एफ.सी.–2/आर.ओ.सी.एच.–07/2021/22 दिनांक 15 जून, 2021
- 2. छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2021/10-2 दिनांक 29.06.2021
- 3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-176/1465 रायपुर दिनांक 07.07.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र –1 के माध्यम से 11 बिन्दुओं की आपत्ति ली गई है, जिसकी पूर्ति निम्नानुसार है:–

क्र.	पायी गयी कमियां	कमियों की पूर्ति
Ι	Consolidated single KML file of entire alignment dully highlighting the forest land proposed for diversion needs to be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा के.एम.एल. फाईल के बाउंड्री को हाइलाइट कर परिवेश पोर्टल में अपलोड़ कर दिया गया है।
II	Date of submission has not mentioned in Part-I and Part-III and Name of signing authority has not mentioned in Part-I of From-A	पूर्व में. पार्ट-1 एवं पार्ट-3 में Date of submission तथा प्राधिकृति अधिकारी का नाम अंकित कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि. /1507 दिनांक 26.12.2020 द्वारा संबंधित दस्तावेज संलग्न कर वृत्त कार्यालय प्रेषित कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
III	The DCF, Raigarh has mentioned in his Part-II that the proposed area is vulnerable	उक्त परियोजना ट्रांशमिशन लाईन से संबंधित है

		-12
	to soil erosion, accordingly, detail note on vulnerability of area due to instant proposal along with site specific soil conervation plan, if needed, may be submitted.	जिसमें ट्रांशमिशन लाईन के नीचे Foundation work को सीमेंट एवं कांक्रीट से भरा जाता है जिससे भू-क्षरण होने की संभावना नगन्य है। अतः वर्तमान में भू-संरक्षण योजना की
		आवश्यकंता नहीं है।
IV	Certificate, from the DFO Raigarh, regarding location of the project outside the PAs has not submittd; same need to be submitted.	उक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 182 में परियोजना परिधि के 10 कि.मी. क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य, अथवा हाथी कॉरीडोर, जैसे संरक्षित क्षेत्र से बाहर होने को प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की गयी है। (छायाप्रति संलग्न है।)
V	Examination of underlying documents submitted along with proposal revealted that area have many endangered and Schedule-I species like, Leopard, Tiger, Indians Gazelle, Four horned antelope, Wolf, Sloth Bear, Striped Hyena, Indian Pangolin, etc. Specific comments of Chief Wildlife Warden on any possible impact of proposal on resident wildlife along with mitigation measures, if any need to be submitted.	वनमण्डल स्तर से संबंधित नहीं है।
VI	CA is proposed over three different patches at three different location, however, a consolidated CA scheme for 19.178 ha. has been submitted, Site specific CA scheme separately for all three patches need to be submitted.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना अलग—अलग पैच अनुसार बनाकर संलग्न कर दिया गया है।
VII	Examination of land identified for raising CA over google satellite imaginary revealed that one patch of 3.417 ha. over compartment number 1029 OA in Raigarh Forest Division already have revisit the area and new area suitable for plantation need to identified and proposed.	कक्ष क्रमांक 1029 नारंगी क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम, बिगड़े वन क्षेत्र है तथा कक्ष के कुछ स्थानों पर पेल्टाफार्म होने के वजह से गुगल अर्थ में हरित एवं वृक्षारोपण क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
VIII	Detailed scheme for plantation of dwarf plants preferably medicinal palns under the proposed RoW has not been submitted; same need to submitted.	सिचित औषधी वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न कर दिया गया है।
IX	Details of alternative alignments explored along with justification for selecting the prososal alternateive and reasons for discarding other alternatives has not been submitted. The detail comparative statement of various parameters examined before finalization of propose alignment	लीनीयर प्रस्ताव में 03 विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वनक्षेत्र का विवरण एवं मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।

	along with KML files of all alignments need to be submitted.	
X	Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has not been submitted, Documentary evidences in the form of copies of the resolutions of the concerned Forest Right Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Divison Level Committee(s) recording their consent for the proposal and bearing signature of the participants have not submitted.	उक्त व्यपयवर्तन प्रकरण में कलेक्टर रायगढ़ का वन अधिकार वितरण प्रामण पत्र, राजस्व वनभूमि के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक,अधि./1114 दिनांक 10.09.2020 को संबंधित दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
XI	Details of employment potetial in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	आवेदक संस्थान द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल श्रमिकों की जानकारी तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कार्य दिवस की जानकारी प्रस्तुत की गयी है जानकारी संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

वर्गमण्डलाधिकारी

2021/रायगढ़, दिनांक :- 🏖 🗳

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 999 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. Executive Engineer, CSPTCL , EHT Construction division Bilaspur, Near Tifra Overbridge Bilaspur (C.G.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमृण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ